भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.12.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 64 का उत्तर

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रचालन

64. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री के. मुरलीधरन:
डॉ. शशि थरुर:
श्री संजय भाटिया:
श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अगस्त, 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने के लक्ष्य को पूरा करने जा रही है और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश विशेष रूप से विशाखापत्तनम-हैदराबाद और विशाखापत्तनम-तिरुपति, तेलंगाना, तिरुवनंतपुरम से मैंगलोर, करनाल से मथुरा और नई दिल्ली से पटना, जैसे लोकप्रिय मार्गों पर ऐसी वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के संचालन का है और यदि हाँ, तो इनका मार्ग/राज्य-वार पूरा ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार घुमावदार पटरियों की अधिक संख्या को ध्यान मे रखते हुये केरल में इन ट्रेनों के संचालन की सुगमता के लिए गति बढ़ाने हेतु परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) रेलवे द्वारा वंदे भारत ट्रेनों से मवेशियों के लगातार टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): वर्ष 2022-23 के लिए कोच उत्पादन कार्यक्रम में पैंतीस (35) वंदे भारत रेक और वर्ष 2023-24 के लिए सड़सठ (67) वंदे भारत रेक स्वीकृत किए गए हैं।

s.k

आइ्रसीएफ ने नवंबर 2022 तक वंदे भारत गाड़ियों के पांच (5) रेक बनाए हैं और यातायात की आवश्यकता के अनुसार वंदे भारत रेकों का और उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल, वास्तविक उत्पादन सप्लाई चेन पर निर्भर करता है जो अभी तेजी से विकसित हो रही है।

(ख): भारतीय रेल नेटवर्क पर गाड़ी सेवाएं राज्य-वार आधार पर संचालित नहीं होती हैं क्योंकि रेलवे नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है। बहरहाल, वंदे भारत एक्सप्रेस सहित गाड़ी सेवाओं की शुरूआत करना सतत प्रक्रिया है जो परिचालन व्यवहार्यता, यातायात औचित्य, रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी मांगों आदि के अध्यधीन है ।

(ग): वक्रों की गति क्षमता के आधार पर, केरल राज्य में पोदनूर से शोरनूर और शोरनूर से नेत्रावती खंडों के बीच अप और डाउन दोनों लाइन पर खंडीय गति को 100 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है। इसके अलावा, तिरुवनंतपुरम - मंगलुरु खंड में खंडीय गति को 130/160 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है।

(घ): रेल पथों पर मवेशियों के कटने की संख्या को कम करने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा कई निवारक उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) रेलपथों के किनारे कचरे की सफाई और अनावश्यक पेड़-पौधों को हटाना।
(ii) मवेशियों/पशुओं की चपेट में आने वाले संभावित स्थानों पर बार-बार सीटी बजाने के लिए गाड़ी चालक दल को नियमित आधार पर सचेत करना।
(iii) मवेशियों/पशुओं के प्रवेश करने वाले चिन्हित स्थानों और प्रमुख शहरों के संपर्क स्थानों पर बाड़/चारदीवारी का निर्माण करना।
(iv) गांवों में संरक्षा संगोष्ठियों/प्रचार के माध्यम से मवेशियों को पटरी पर आने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु ग्रामीणों की काउंसलिंग करना।
(v) रेलपथों के पास जानवरों की अनावश्यक भीड़ लगने से रोकने के लिए रेलपथों के किनारे खाद्य अपशिष्ट को डंप करने से बचना।

****

s.k